# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)**

## अपील संख्या– 2025/80

1. घांसीलाल पुत्र स्व0 भैरूलाल
2. छीतरलाल पुत्र स्व0 भैरूलाल
3. रमेश पुत्र स्व0 भैरूलाल
   जाति नाई निवासीगण ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– अपीलांटगण

**बनाम**

1. रामप्रताप पुत्र फून्दीलाल जाति मीना निवासी ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2 श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 1 की ओर से

**निर्णय** दिनांक 12.09.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 42A/2017 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि .एक वाद, बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि वादीगण पेशे से काश्तकार व्यक्ति है तथा काश्तकारी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते है। ग्राम डड़वाड़ा (भंवरिया) तहसील लाड़पुरा जिला कोटा मे पुराने खसरा नम्बर 160 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा किस्म बंजड़ भूमि स्थित थी जिसके सेटलमेन्ट उपरान्त नये खसरा नम्बर 435 की रकबा 1.14 हैक्टर कायम किये गये। उक्त

आराजी पर आज से चालीस वर्ष पूर्व से जब तक वादीगण पिता स्व० भैरूलाल जी जीवित रहे, वह काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण लगातार बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान मे भी वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी नम्बर–1 द्वारा केम्प मे गलत बयानी करके उक्त आराजी में से 6 बीघा 2 बिस्वा आराजी को अपने नाम नियमन करवा लिया तथा उसका इन्तकाल नम्बर 144 दिनांक 18.02.1978 को प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड मे प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम अंकित कर दिया गया है। विवादित आराजी पर न तो पूर्व मे प्रतिवादी नवर 1 का कब्जा था और ना ही वर्तमान मे प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा काश्त है। केवल कागजो मे ही उसका नाम अंकित है। वास्तविक रूप से उपरोक्त आराजी पर वादीगण का अपने पिता के जीवनकाल से जब तक भेरूलाल जी जीवित रहे वह काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद से वादीगण –उक्त आराजी पर बैहसियत ट्रेस पास कब्जा चला आ रहा है, आराजी को अपने पुराने कब्जे के अनुसार अपने खाते दर्ज करवाने आवन्टन/नियमन करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर–1 के दिल मे बदनियती आ जाने के कारण वह वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करने लग गया है तथा जबरन भूमि पर कब्जा करने को आमादा है। इस कारण वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायायल मे वाद पेश करके उक्त भूमि ने से प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम हटवावे तथा उक्त आराजी का अपने आपको पुराने कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित करवावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे। वाद कारण दिनांक 14.12.2010 प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने की चेष्ठा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर का 435 रकबा 1.14 हेक्टर है, का खातेदार घोषित कर उक्त भूमि को वादीगण के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा का प्रतिवादी नम्बर–1 के नाम रेगुलाईज का आदेश व उसके आधार पर जो इंतकाल नम्बर 144 दिनांक 18.02.1978 खोला गया है उसको प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर प्रतिवादी नम्बर–1 का नाम इंतकाल व राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। प्रतिवादी नम्बर–1 के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा उन्हें शान्तिपूर्वक काश्त करने दे तथा जबरन कब्जा नहीं कर उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने एजेन्ट से करावें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2025 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। निर्णय एवम डिक्री जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद 88, 89 व 188 आर० टी० ए० निरस्त करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना वाद सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य व अपनी साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित किया गया हे जिसको नजर अन्दाज करके वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करने मे त्रुटि की है। ग्राम डडवाडा (भंवरिया) तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे पुराने ख० न0 160 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा जिसके बाद सेटलमेन्ट के उपरान्त ख० न० 435 रकबा 1.14 हेक्टेयर कायम किया गया है। उक्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता एवम उनकी मृत्यु के बाद से अपीलान्टस का लगातार कब्जा काश्त चला आरहा है और आज भी अपीलान्ट काबिज काश्त है उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट द्वारा अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है जिसका खंडन भी प्रति० की और से नहीं आया है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट ने गलत बयान करते हुये उक्त आराजी को अपने नाम आवंटित करवाया गया है जिसके आधार पर उसका गलत रूप मे नामान्तरकरण जमाबंदी मे दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त

आवंटन आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे निगरानी पेश कर रखी हे जो राजस्व मंडल मे लंबित है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० का मात्र राजस्व रिकार्ड मे उसका नाम अंकित होना तथा भूमि आवंटन होने का कथन करते हुये दावा वादीगण खारिज किया गया है। विवादित आराजी को वर्तमान में 8 लेन मे अवाप्त किया गया है जिसके संबंध मे कार्यवाही चल रही हे जिसमे भी अपीलान्ट द्वारा अपनी उज्रदारी क्लेम सक्षम न्यायालय/कार्यालय में पेश किया हुआ है जो लंबित चल रहा है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नहीं है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी को स्वयं के खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2025 में अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 निरस्त की जाकर अपीलांटगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किए जाने का आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 435 रकबा 1.14 हैक्टेयर जिसके सेटलमेंट से पूर्व खसरा संख्या 160 है, उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 के तहत विधिवत् रूप से नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 के तहत विधिवत् रूप से उचित आदेशानुसार खाते दर्ज की गई है। नामान्तरकरण संख्या 144 में वर्णित आदेश को निरस्त करवाये बिना अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 को जिला कलेक्टर महोदय कोटा के न्यायालय में चुनौती दी गई परन्तु अपीलांट द्वारा जिला कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील को दिनांक 25.01.2011 को खारिज किया जा चुका है। नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 आज भी अस्तित्व में है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त एवं हक अधिकार नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी पर बैंक से ऋण भी ले रखा है। रेस्पोडेन्ट की भूमि के निकट अपीलांट की कोई भूमि स्थित नहीं है और ना ही अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बंध है। अपीलांटगण ना तो वादग्रस्त आराजी के खातेदार है और ना ही उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को अपीलांटगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं करवाया गया है अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील एवं वाद खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.

02.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम डडवांडा(भंवरिया) तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 435 रकबा 1.14 हैक्टेयर का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण के पिता भैरूलाल तथा उनकी मृत्यु के पश्चात स्वंय अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 4 में किया गया अंकन इस प्रकार है– "यह कि उक्त भूमि पर न तो प्रतिवादी नं01 का कब्जा काश्त था और ना ही वर्तमान में प्रतिवादी नं01 का कब्जा काश्त है। केवल कागजो में ही उसका नाम अंकित है। वास्तविक रूप से उपरोक्त आराजी पर वादीगण का अपने पिता के जीवनकाल से जब तक भैरूलाल जी जीवित रहे वह काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर बहैसियत ट्रेसपास कब्जा चला आ रहा है। तथा उक्त आराजी को वह पुराने कब्जे अनुसार खाते दर्ज करवाने आवन्टन/रेगुलराइज करवाने के अधिकारी है।" अतः यह अपीलांटगण वादीगण द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ट्रेसपासर की हैसियत का रहा है। वादग्रस्त आराजी ना तो राजस्व अभिलेख में अपीलांटगण के खाते दर्ज नहीं है और ना ही अपीलांटगण ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी पूर्व में अपीलांटगण वादीगण के खाते दर्ज होना प्रकट होता हो। अपीलांटगण ने वादग्रस्त आराजी में केवल कब्जे काश्त होने के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। परन्तु वर्तमान विधि के अनुसार कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। कब्जा मुखालफाना के सम्बंध माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 2015 डी.एन.जे. 2015 पेज 224 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018(3)डब्ल्यु.एल.एन पेज 114 प्रतिपादित किए गए है जिनके अनुसार कब्जा मुखालफाना के आधार पर वाद

ोषणीय नहीं होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रामप्रताप वल्द फून्दीलाल कोम मीणा सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज है।अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02. 1978 की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की है जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 160 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि का नियमन रामप्रताप पुत्र फून्दीलाल के पक्ष में किए जाने का अंकन है। जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2037 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रामप्रताप पुत्र फून्दीलाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2038 से 2057 में रेस्पोडेन्ट रामप्रताप वल्द फून्दीलाल का नाम गैर खातेदार के रूप में अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 में नामान्तरकरण संख्या 289 दिनांक 19.05.2009 के द्वारा वादग्रस्त आराजी रहन मुक्त किए जाने तथा नामान्तरकरण सख्या 297 दिनांक 22.06.2009 रहन दर्ज करने का नोट अंकित है। खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय सम्वत् 2065 से 2068 में खातेदार के कॉलम संख्या 5 में रेस्पोडेन्ट का नाम अंकित है तथा फसल के कॉलम संख्या 11 में धनियॉ की फसल का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हाल अपीलांटगण की ओर से जिला कलेक्टर कोटा के न्यायालय में नामान्तरकरण सख्या 144 दिनांक 18.02.1978 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मेमो की प्रमाणित फोटोप्रति, न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा अपील संख्या 49/2011 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2011 तथा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग द्वारा अपील संख्या 72/2011 में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2012 की प्रामाणित फोटोप्रति संलग्न है जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा में अपील पेश की गई है जो न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.01.2011 द्वारा निरस्त की जा चुकी है। साथ ही अपीलांटगण द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 25.01.2011 की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में प्रस्तुत की गई है जो न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2012 के द्वारा खारिज की जा चुकी है। अतः जिस नामान्तरकरण संख्या 144 के आधार पर वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज हुई है उक्त नामान्तरकरण संख्या 144 दिनांक 18.02.1978 आज भी अस्तित्व में है। अतः नामान्तरकरण संख्या 144 को निरस्त करवाये बिना अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में किसी प्रकार के हक अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 27.02.2025 में वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का जो

आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 42A/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2025 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

# अपील में डिक्री

**(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)**

# राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.**

अपील संख्या : **2025/80**

1. घांसीलाल पुत्र स्व0 भैरूलाल
2. छीतरलाल पुत्र स्व0 भैरूलाल
3. रमेश पुत्र स्व0 भैरूलाल
   जाति नाई निवासीगण ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा — **अपीलांटगण**

**बनाम**

1. रामप्रताप पुत्र फून्दीलाल जाति मीना निवासी ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा —**रेस्पोडेन्टगण**

वाद संख्याः **42A/2017**

1. घांसीलाल पुत्र स्व0 भैरूलाल
2. छीतरलाल पुत्र स्व0 भैरूलाल
3. रमेश पुत्र स्व0 भैरूलाल
   जाति नाई निवासीगण ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा —वादीगण

**बनाम**

1. रामप्रताप पुत्र फून्दीलाल जाति मीना निवासी ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा —प्रतिवादीगण



राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

# अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 42A/2017 में न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.02.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 12.09.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री दयाराम सेन तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 42A/2017 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.02.2025 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिकी आज तारीख 12.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

12/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा